प्रार्थना–पत्र धारा **212 आर.टी.ए.** के तहत प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे।

वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के गहनता से अवलोकन में पाया गया कि प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि की एक क्रेता स्व. श्रीमती दर्शनादेवी के पुत्र है। फलतः प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया विरासतन हक बनता है। प्रश्नगत भूमि का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या–01 का कोई बंटवारें संबंधी दस्तावेज पत्रावली पर नही है। प्रश्नगत भूमि के किले/विशिष्ट क्षेत्र प्रार्थीगण अथवा अप्रार्थी सं.–01 के मध्य आज दिनांक तक अनिर्धारित है। यदि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अंकित अभिवचनानुरूप अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा प्रश्नगत भूमि के किसी विशिष्ट किले अथवा विशिष्ट क्षेत्र का बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को असुविधा के साथ–साथ अपूर्णनीय क्षति भी होगी अतः अगली तारीख पेशी तक अप्रार्थी संख्या–1 को इस आशय की अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि तहसील अनूपगढ़ की वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक–16 ए का मुरब्बा नं.–30 पत्थर संख्या–302/450 के किला नम्बर 5 व 6 में से 0.075 हैक्टर (49½ X15 वर्गफुट) कमाण्ड खातेदारी रकबा जिसमें दो पक्के कमरों की ढाणी बनी हुई है के, किसी विशिष्ट क्षेत्र/किले का बेचान न करें।

सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक–**03.12.2021** को पेश हो।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

20/10/21 आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट 30 APD में रूल वाद का निस्तारण होने पर पेशी में भी [illegible] रूल वाद का निस्तारण होने के कारण [illegible] 212 राज. काश्त. अधिनियम [illegible] होने के कारण [illegible] हो पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होना। नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2021.12.06 13:33:37 IST
Reason: SelfAttested